

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश  
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

क्रमांक 1442/तकनीकी/2015

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2015

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक  
मध्यप्रदेश


विषय - मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 के तहत अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण/द्वितीय प्रति हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में।

-00-

मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 के तहत अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण/द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है -

- (1) नियम 3 के तहत अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए : 1000 (एक हजार) रुपये.
- (2) नियम 8 के तहत अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए : 500 (पांच सौ) रुपये.
- (3) नियम 9 के तहत अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी किए जाने के लिए : 500 (पांच सौ) रुपये.

2. यह शुल्क "0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण" शीर्ष के तहत जमा कराया जाएगा।



(दीपाली रस्तोगी)  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1443/तकनीकी/2015

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश